# प्रेस नोट

दिनांकः सितम्बर 11, 2020

पिछले कुछ दिनों से कानपुर नगर में क्रिकेट मैच पर सट्टा खेलने की शिकायत आ रही थी। इस सूचना पर पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद कानपुर नगर डॉ0 प्रीतिन्दर सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक दक्षिण श्री दीपक भूकर व पुलिस अधीक्षक पश्चिम डॉ0 अनिल कुमार, ट्रेनी सहायक पुलिस अधीक्षक, श्री अजय जैन व क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा श्री आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में इससे जुड़े अपराधियों की धर-पकड़ हेतु एसओजी टीम व थाना-नजीबाबाद, फजलगंज, काकादेव पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गयी। संयुक्त टीम द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र नजीराबाद, फजलगंज व काकादेव से 06 व्यक्तियों को सट्टा खेलते हुए पकड़ा गया। जिनके कब्जे से 93,72,130/-रूपये (तिरानवे लाख बहत्तर हजार एक सौ तीस रुपये), 27.000/- नेपाली करेंसी बरामद हुई तथा मोबाइल, लैपटॉप, कैश काउन्टिंग मशीन, रजिस्टर आदि बरामद हुए जिसमें सट्टे का लेखा जोखा मिला।

मुख्यतः सट्टे के रुपये का लेन देन हरप्रीत सिंह बेदी के घर से होता था, इसलिए हरप्रीत सिंह बेदी अपने घर पर कैश काउन्टिंग मशीन भी रखता था। पूछतांछ में अभियुक्तगणों ने बताया कि हम लोग मोबाइल पर ओवर में रन तथा मैच की हार जीत पर सट्टा लगाते हैं। निश्चित ओवरों में रन की संख्या निश्चित करते हैं। जैसे- (10 ओवर में 70 रन नॉट) यदि 69 रन ही बना तो लगा पैसा खेलने वाला जीत जाता है और यदि 70 या उससे ऊपर बना तो खिलाने वाला जीत जाता है। इसी प्रकार यदि (10 ओवर में 65 यस), निश्चित हुआ तो 65 या उससे ऊपर रन बन गया तो खेलने वाला रकम जीत जाता है और यदि 65 नहीं बना तो खिलाने वाला रकम जीत जाता है। इसी प्रकार टीम के हार जीत व स्कोर पर सट्टा लगता है। यह गैंग एक अन्तर्राज्यीय गैंग है जिसे मोबाइल पर सोनू सरदार नामक व्यक्ति जयपुर से ऑपरेट करता है। पकड़े गये अभियुक्तों में ईशान भाटिया, रिशू तथा विनोद छाबडा पहले भी जेल जा चुके हैं। अभि0 ईशान भाटिया, जय बाजपेयी की कमेटी से जुड़ा है और कमेटी में लेन देन करता है। मोबाइल में दोनों के चैट मिले हैं। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना नजीराबाद, फजलगंज व काकादेव में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। इस कृत्य में कुछ और लोगों के नाम भी प्रकाश में आये हैं, जिन पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

**विवरण बरामदगी-**

1- 93,72,130 /-रू0 (तिरानवे लाख बहत्तर हजार एक सौ तीस रूपये) भारतीय मुद्रा
2- 27,000/- रु0 (सत्ताइस हजार रूपये) नेपाली मुद्रा
3- 01 अदद कैश काउन्टिंग मशीन
4- 11 अदद मोबाइल फोन
5- 01 अदद लैपटॉप
6- रजिस्टर, जिसमें सट्टे के लेन देन सहित अन्य विवरण अंकित है।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-**

1- हरप्रीत सिंह बेदी पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी 118/107 कौशलपुरी थाना नजीराबाद कानपुर नगर।
2- रीशू अरोरा पुत्र स्व0 दविन्दर सिंह निवासी 118/65 कौशलपुरी थाना नजीराबाद कानपुर नगर।
3- विनोद कुमार छाबडा पुत्र स्व0 मुल्कराज निवासी 122/235 सरोजनी नगर थाना फजलगंज कानपुर नगर।
4- ईशान भाटिया पुत्र रजिन्दर कुमार भाटिया निवासी 119/237 दर्शनपुरवा थाना फजलगंज कानपुर नगर।
5- रीजक सिंह पुत्र रिंकू सिंह निवासी 117 H/195 पाण्डुनगर थाना काकादेव कानपुर नगर।
6- गुरमीत सिंह पुत्र चरनजीत सिंह नि0 आजाद नगर थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।

**मीडिया सेल,**
**कानपुर नगर पुलिस**